



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नूरपुर

दिनांक – 17.07.2024

थाना नूरपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 276/24 धारा 75 बी0एन0एस0 व धारा 7/8 पॉक्सो अधिनियम में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 16.07.2024 को वादी द्वारा थाना नूरपुर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त नासिर पुत्र अब्दुल रशीद निवासी मौ0 इस्लामनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ने ट्यूशन पढकर वापस आते समय वादी की भतीजी के साथ छेडछाड एवं अभद्रता की गयी । तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

आज दिनांक 17.07.2024 को थाना नूरपुर पुलिस ने उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त नासिर पुत्र अब्दुल रशीद निवासी मौ0 इस्लामनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

नासिर पुत्र अब्दुल रशीद निवासी मौहल्ला इस्लामनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.म0उ0नि0 श्रीमती जूही थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
- 2.कां0 गौरव कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना धामपुर

दिनांक – 17.07.2024

थाना धामपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 342/2024 धारा 115(2) / 352 / 351(2) / 109(1) / 3(5) बी0एन0एस0 में वांछित 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 14.07.2024 को वादी गौरव पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम मटौरामान थाना धामपुर जनपद बिजनौर ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 13.07.2024 को वादी का भाई सचिन अपने चचेरे भाई पंकज की शादी में गया था । शादी समारोह के दौरान वादी के भाई सचिन का डीजे पर डांस के दौरान अनुज से कहासुनी हो गयी थी । इसी कहासुनी को लेकर शादी से घर वापस जाते समय अभियुक्तगण 1.अनुज पुत्र



घसीटा सिंह 2.अनिल पुत्र जगदेव सिंह 3.आंशु पुत्र कावेन्द्र सिंह 4.लक्की पुत्र विजयपाल सिंह निवासीगण ग्राम मटौरामान थाना धामपुर जनपद बिजनौर ने वादी के भाई सचिन की मोटरसाईकिल को रास्ते मे रोककर गाली-गलौच करते हुए लाठी – डण्डो व लोहे की रॉड से वार कर घायल कर दिया तथा अनुज ने जान से मारने की नियत से अनुज के ऊपर तमंचे से फायर कर सचिन को घायल कर दिया । तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर अभियुक्तगण अनुज आदि उपरोक्त कुल 04 नफर के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही –

आज दिनांक 17.07.2024 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.अनुज पुत्र घसीटा सिंह 2.अनिल पुत्र जगदेव सिंह 3.आंशु पुत्र कावेन्द्र सिंह 4.लक्की पुत्र विजयपाल सिंह निवासीगण ग्राम मटौरामान थाना धामपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1.अनुज पुत्र घसीटा सिंह निवासी ग्राम मटौरामान थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 2.अनिल पुत्र जगदेव सिंह निवासी ग्राम मटौरामान थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 3.आंशु पुत्र कावेन्द्र सिंह निवासी ग्राम मटौरामान थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 4.लक्की पुत्र विजयपाल सिंह निवासी ग्राम मटौरामान थाना धामपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 सोहन सिंह पुण्डीर थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 2.हे0कां0 859 संजय थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 3.कां0 53 धर्मराज थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 4.कां0 2527 सतेन्द्र थाना धामपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना

दिनांक – 17.07.2024

थाना नगीना पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 432/2023 धारा 420/406 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 21.12.2023 को वादी इरशाद अहमद पुत्र कमरुद्दीन निवासी मौ0 लाल सराय कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर द्वारा थाना नगीना पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तों अकमल व अजमल पुत्रगण नासिर निवासी ग्राम झकडी बांगर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर द्वारा वादी को विदेश भेजने के नाम पर उसके साथ रूपयों को धोखाधडी की गयी । इस संबंध में थाना नगीना पर अभियोग पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

आज दिनांक 17.07.2024 को थाना नगीना पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अकमल पुत्र नासिर निवासी ग्राम झकडी बांगर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अकमल पुत्र नासिर निवासी ग्राम झकडी बांगर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1-उ0नि0 उदयवीर सिंह थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
- 2-का0 682 मोनू कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना नूरपुर

दिनांक 17.07.2024

थाना नूरपुर पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही :-

आज दिनांक 17.07.2024 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान विककी पुत्र जनम सिंह निवासी ग्राम ढाकी थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद को एक अवैध तमंचा 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना नूरपुर पर मु0अ0स0 277/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम बनाम विककी उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता :-

विककी पुत्र जनम सिंह निवासी ग्राम ढाकी थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद

बरामदगी विवरण:-

एक अवैध तमंचा 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 श्री कुलदीप कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
2. का0 विजयपाल थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
3. का0 गौरव थाना नूरपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना रेहड़

दिनांक 17.07.2024

थाना रेहड़ पुलिस ने वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही –

आज दिनांक 17.07.2024 को थाना रेहड़ पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त सलवेन्द्र सिंह पुत्र कर्म सिंह निवासी ग्राम नवाबाद थाना रेहड़ जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सलवेन्द्र सिंह पुत्र कर्म सिंह निवासी ग्राम नवाबाद थाना रेहड़ जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 भीम सिंह थाना रेहड़ जनपद बिजनौर
2. का0 333 ललित कुमार थाना रेहड़ जनपद बिजनौर

